फा.सं.ए.12028/03/2023-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन , नई दिल्ली
दिनांक: 14 ~~फ़रवरी~~ मार्च, 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय, निदेशक (सतर्कता), केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा । इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जा सकती हैं या कृपया bikash.mahato@nic.in पर भेजी जा सकती हैं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव,भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23061141

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (सर्तकता)	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, गैरमंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,51,900 रू.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालीन संविदा सहित) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो- (क) समूह 'क' सेवा के 14 वर्ष पूरे करता हो; या (ख) वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रू.78800-209200) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा रखते हों; या नोट 1: निदेशक (सतर्कता) के पद के लिए चयन और नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा "विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी का चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया" विषय पर उनके दिनांक 18.01.2001 के का.ज्ञा.सं.372/8/99-एवीडी-III के तहत परिचालित और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित),		

	इस पद पर नियुक्ति से ठीक पहले उसी संगठन या/केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग में धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित पांच साल से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए.12028/03/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव,भारत सरकार